न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 91/2014

वादीगण :-

1. गुमान सिंह पुत्र मुगनसिंह
   जातियान-पुरोहित,
   निवासी-मोहराई, तह.-जैतारण,
   जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरीदेवी पत्नि बाबुलाल
2. जब्बर सिंह पुत्र मुगनसिंह
3. गंवरीदेवी पुत्री मुगनसिंह
   जाति-पुरोहित निवासी-मोहराई
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.06/05/2014

उपस्थितः- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारीया, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष झुंझारसिंह के पुत्रगण मुगनसिंह व फौजुसिंह (नाऔलाद फौत) हुए। मुगनसिंह के वारिसान पुत्री गंवरीदेवी व पुत्रगण बाबुलाल गुमानसिंह व जब्बरसिंह हुए तथा बाबुलाल (फौत) की पत्नि भंवरीदेवी हैं। सरहद मौजा मोहराई में वादी एंव प्रतिवादी संख्या एक से तीन की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 04-15 बीघा, ख0नं0 272 रकबा 03-04 बीघा, ख0नं0 773 रकबा 0-06 बीघा, ख0न0 776 रकबा 02-01 बीघा, ख0नं0 786 रकबा 4-08 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल किता-5 कुल रकबा 14-14 बीघा किस्म चा0प्र0 व बा0अ0 की आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 की पेश की है। उक्त कृषि भूमि में वादी 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक से तीन प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा हैं, इसी हिस्सेनुसार काश्त करते है। झुंझारसिंह के वारिसान फौजुसिंह की वर्ष जुन 2012 में मृत्यु हो गई उनके कोई वारिस नहीं हैं। इस कारण से उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के एक मात्र खातेदार काश्तकार इनके सगे भाई मुगनसिंह के वारिसान वादी एंव प्रतिवादी संख्या एक से तीन ही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदारी में है, जिसका कानुनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि में सामलाती काश्त करते हैं। इसलिए कानुनन बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। जिससे पक्षकारान के बीच अनावश्यक वैमनष्यता पैदा नहीं हो। वादी पेशे से व्यापारी भी है, अपनी कृषि भूमि को काबिल काश्त बनाने बाबत् खाद बीज डालने हेतु वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 29/03/2014 को कानुनन बंटवाड़ा हेतु कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट ईन्कार हुए, इतना ही नही

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या एक लड़ाई झगड़ा करने पर भी आमादा हुआ है। प्रतिवादी संख्या एक ने वादी को यह भी ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हें मुगनसिंह के हिस्से की कृषि भूमि में काश्त नहीं करने दूँगा व तुम फौजुसिंह के हिस्से में आई भूमि में ही काश्त करो जबकि फौजुसिंह के हिस्से की कृषि भूमि रेतीली व अनउपजाउ है। उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से में कभी खाद मिट्टी गोबर आदि नहीं डाला व मुगनसिंह के हिस्से की कृषि भूमि मौके पर अच्छी व उपजाउ भूमि है। यदि प्रतिवादी संख्या एक लाठी के बल पर अपने कृत्य में सफल हो जाता है । तो वादी अपने अधिकारों से वंचित होगा इसलिए वादी वादपत्र में उक्त वर्णित कृषि भूमि के प्रत्येक ख0न0 में 1/4 हिस्से का कानूनन बंटवाड़ा हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो इन्कार हुए तब वादी द्वारा यह बंटवाडा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। वादपत्र में वर्णित प्रत्येक ख0न0 की कृषि भूमि के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि का कानुनन बंटवाडा करने हेतु दिनांक 29/03/2014 को कहा तो प्रतिवादिगण ने वादी को उसके 1/4 हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी व खड़ाई बुवाई में दखल व दस्तन्दाजी दिन प्रतिदिन करते है। जबकि प्रतिवादिगण को ऐसा करने का कोई कानुनी अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानुनी कृत्य में मात्र लाठी के बल पर सफल हो जाते तो वादी अपने 1/4 हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगा, वादी को असीम हानि होगी एवं पक्षकारान के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढेगी। बंटवाड़े के इस वाद में प्रतिवादी संख्या चार भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। विनाय वाद दिनांक 29/03/2014 को वादी ने उक्त कृषि भूमि के बंटवाड़े हेतु कहा तो स्पष्ट ईन्कार होने एवं उसके 1/4 हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम मोहराई तहसील-जैतारण जिला-पाली राज0 में पैदा हुआ जो श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 09/06/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के जरिए रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मनस भेजे जाकर डाकघर की रसीद संख्या ARR No. 758732272 व 69 दिनांक 01/08/2014 संलग्न पत्रावली हैं।

पत्रावली दिनांक 10 /06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र -जैतारण पर पेश हुई। जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 उक्त विवादित भूमि पर सहायक ऑफिस कानूनगों तहसील कार्यालय जैतारण द्वारा प्रस्तुत मिसल बन्दोबस्त ग्राम-मोहराई के खाता संख्या 232 अनुसार खसरा नम्बर 114, 272, 773, 776 एवं 786 कुल किता-5 कुल रकबा 14-14 बीघा भूमि झुंझारसिंह पुत्र धनसिंह कौम-पुरोहित सा0 देह खातेदार काश्तकार खुद काश्त दर्ज होना अंकित हैं। प्रस्तुत सजरा वंशावली अनुसार मिसल बन्दोबस्त में अंकित खातेदार मूल पुरूष झुंझारसिंह के दो पुत्रान मुगनसिंह व फौजूसिंह हुए, जिनमें से फौजूसिंह लाऔलाद ही फौत हो चुके हैं। मुगनसिंह के पुत्रान बाबूलाल, गुमानसिंह (वादी) जबरसिंह पुत्रान व भंवरीदेवी पुत्री हुई तथा बाबूलाल फौत हो चुके हैं, जिनकी पत्नि प्रति0 संख्या 1 भंवरीदेवी उत्तराधिकारी होना वाद पत्र के तथ्यों एवं दस्तावेजात से बखूबी साबित / प्रमाणित होता हैं। जिससे माफिक मिसल बन्दोबस्त राजस्व रेकर्ड की रिपोर्टानुसार वादी 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को प्रत्येक को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को रोका जाना उचित समझते हैं। बंटवाड़ा की ईश्तदुआ वादी स्वयं द्वारा वापस लिये जाने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-मोहराई, तहसील-जैतारण जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 114, 272, 773, 776 एवं 786 कुल किता-5 कुल रकबा 14-14 बीघा किस्म बा0अ0 व चा0प्र0 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उपस्थित वादी द्वारा बंटवाड़ा की ईश्तदुआ वापस लिये जाने से खारिज की जाती हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार, जैतारण डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-आसरलाई में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. गुमान सिंह पुत्र मुगनसिंह
   जातियान-पुरोहित,
   निवासी-मोहराई, तह.-जैतारण,
   जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरीदेवी पत्नि बाबुलाल
2. जब्बर सिंह पुत्र मुगनसिंह
3. गंवरीदेवी पुत्री मुगनसिंह
   जाति-पुरोहित निवासी-मोहराई
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0: 91/2014

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारीया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-मोहराई, तहसील-जैतारण जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 114, 272, 773, 776 एवं 786 कुल किता-5 कुल रकबा 14-14 बीघा किस्म बा0अ0 व चा0प्र0 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/4-1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उपस्थित वादी द्वारा बंटवाड़ा की ईश्तदुआ वापस लिये जाने से खारिज की जाती हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण डिकी पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	1	00	महनताना वकील		
महनताना वकील		—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	2	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		—	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		—	मुत्फरिक		
मिजानः-	7	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner